न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 27/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गेनाराम पुत्र ओखीया, कौम श्रीमाली ब्राह्मण, निवासी दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर 2.धनाराम वल्द मकाराम 3.छगनलाल पुत्र मकारामजी 4.फुलचन्द वल्द मकाराम, कौम माली, निवासी दयालपुरा, तहसील आहोर, जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर,दिनांक 23.5.2018(ना.क.सं. 1148)

उपस्थिति :–
1-श्री चैनाराम चौधरी,अभिभाषक,अपीलांट अभिभाषक की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री बसन्तकुमार गहलोत्,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा दयालपुरा (तहसील आहोर) के खसरा नम्बर 450 रकबा 0.07 हेक्टर,,451रकबा 4.35 हेक्टर,774/451 रकबा 1.02 हेक्टर,कुल रकबा 5.44 हेक्टर जो शामलाती है, अपीलांट का उपरोक्त आराजी में 1/4 हिस्से में 3/4 आई हुई है.शेष खातेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की है, उपरोक्त आराजी में आपसी सहमति से बंटवाडा के आधार पर तहसीलदार आहोर द्वारा आदेश दिनांक 18.5.2018 आदेश पारित किया जिसकी पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा म्युटेशन सं.1148 दिनांक 23.5.2018को केम्प

दयालपुरा में स्वीकृत अपीलांट को 1.01 हेक्टर व गैर मुमकिन बेरा में 3 / 16 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की गई है।आपसी सहमति बंटवाडा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में एक अपील पेश की है जो विचाराधीन है, अपीलांट को खातेदारी में जाने का रास्ता नहीं दिया व म्युटेशन सं. 1148 तहसीलदार आहोर द्वारा पारित किया गया है,अपीलांट की सहमति से बंटवाडा नहीं किया गया है तथा अपीलांट को जानकारी होने पर बंटवाडा को निरस्त करने हेतु तहसीलदार आहोर को दरख्वास्त भी पेश की हुई है। अपीलांट को म्युटेशन की जानकारी दिनांक 22.7.2018को हुई जब मौके पर पटवारी हल्का द्वारा पत्थरगढी करने आए तब मालूम पडा कि गलत रूप से बंटवाडा हुआ है, इस पर अपीलांट ने दिनांक 23.7.2018को म्युटेशन की नकल हेतु दरख्वास्त पेश की,नकल मिलने पर अपील पेश की हैं जो अन्दर म्याद है। अतःम्युटेशन सं. 1148 दिनांक 23.5.2018को निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं.1148 दिनांक 23.5.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की ओर से दिनांक 19.8.2019को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स ने आपसी सहमति से विभाजन हेतु दिनांक 15.5.2018 को तहसीलदार आहोर के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया था ,जिस पर अपीलांट ने अपने पुत्र महिपाल के साथ स्वतंत्र ईच्छा से सहमति से हस्ताक्षर किये थे,जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी की रिपोर्ट के पश्चात् तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 18.5.2018 को विभाजन का आदेश पारित किया था,जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 18.5.2018से ही है तथा उक्त आदेश की पालना में म्युटेशन सं. 1148 दिनांक 23.5.2018 पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को म्युटेशन पारित होने के दिन से है, दिनांक 22.7.2018को पटवारी हल्का मौक पर पत्थर गढी करने हेतु नहीं गये थे, अपीलांट ने इस अपील को म्याद पर लाने के लिए दिनांक 22.5. 2018 को वर्णन किया है, इस प्रकार अपीलांट की अपील म्याद गुजरने के पश्चात् म्याद बाहर पेश किये जाने से अपीलांट की अपील निरस्त योग्य है, अपीलांट ने इस प्रार्थनापत्र में मनगढन्त तथ्यों के साथ अपील को म्याद में लाने के लिए उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 22.7.2018 को होना बताया है जबकि अपीलांट स्वयं ने आपसी सहमति से विभाजन प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा पूर्ण सहमत होने से ही उक्त विभाजन आदेश पारित हुआ है तथा उक्त आदेश की पालना में म्युटेशन भरा गया है,ऐसी सूरत अपीलांट

को उक्त आदेश की जानकारी नहीं होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं, ऐसी सूरत में अपीलांट कीयह अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करावे।

3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 की ओर से दिनांक 19.8.2019 को एक प्रार्थनात्र अन्तर्गत धारा 96(3) सी.पी.सी.के तहत् पेश किया कि अपीलांट ने आपसी सहमति से विभाजन हेतु आवेदन पत्र मय प्रस्ताव तहसीलदार आहोर को दिनांक 15.5.2018को अन्तर्गत धारा 53(2)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश किया था, उक्त सहमति पत्र पर अपीलांट व अपीलांट के बालिक पुत्र महिपाल ने अपनी स्वतंत्र सहमति से हस्ताक्षर किये थे, जिस पर तहसीलदार आहोर ने बाद कार्यवाही दिनांक 15.5.2018 को आदेश पारित किया था तथा तहसीलदार आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2018 की पालना में तहसीलदार आहोर द्वारा म्युटेशन सं. 1148 दिनांक 23.5.2018 को पारित किया गया है,अपीलांट ने उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपील पेश की है जबकि आपसी सहमति से पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं हैं तथा उक्त म्युटेशन ,आपसी सहमति से विभाजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पारित आदेश दिनांक 18.5.2018की पालना में भरे जाने से उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अपीलांट की यह अपील पोषणीय नही होने निरस्त किये जाने योग्य है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे जो बाद सुनवाई के रेस्पोडेन्ट सं.2 से 4 का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट सं.2से 4 के वकील ने दिनांक 25.9.19को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 41नियम 27 सपठित धारा 151सी.पी.सी. बाबत् शपथपत्र,दस्तावेज को अभिलेख पर लिये जाने का पेश किया जिस पर अपीलांट वकील ने कोई आपत्ति पेश नहीं की हैं।

5. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि म्युटेशन सं. 1148 पारित करते समय खातेदार को कोई रास्ता नहीं दिया गया है,अतः तहसीलदार आहोर द्वारा पारित म्युटेशन सं.1148 दिनांक 23.5.2018को निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के वकील ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के जवाब में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि इसमें बंटवाडा आदेश दिनांक 18.5.2018 की पालना में भरे गये म्युटेशन सं.1148 के विरूद्ध यह अपील पेश की है, जो म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

6. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है तथा उन परिस्थिति में यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य को स्वीकार करने से इन्कार करने पर या समुचित प्रयास के प्राप्त नही किये जाने योग्य या पक्षकारों की जानकारी में न होने वाले साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपीलीय न्यायालय को अनुमति देता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील सं. 63/2014, दिनांक 2.12.2014 का निर्णय दोनो पक्षकारों की जानकारी में था तथा उक्त निर्णय तथा संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दिनांक 19.12.2014 को ही प्राप्त की जा चुकी थी, उन्हें दिनांक 25.9.2019 को प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा है,समझ से परे हैं। निर्माण तथा कदीमी रास्ते के छाया चित्र अधिनस्थ न्यायालय में क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये ,इसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता हैं।

अपीलांट का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर देरी को कण्डोन किया जाता है।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन सं. 1148 दिनांक 23.5.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है, अपीलाधीन म्युटेशन बंटवाडा आदेश की पालना में पारित किया गया है, बंटवाडा आदेश से सबंधित अपील सं. 43/2018 ,गेनाराम बनाम धनाराम वगैराह में निर्णय दिनांक 30.9.2019 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार आहोर को रिमाण्ड किया जा चुका है, अतः अपील के परिणाम स्वरूप उक्त नामान्तरकरण भी खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार(भू अ.)आहोर के नामान्तरकरण सं. 1148, आदेश दिनांक 23.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 1148 आदेश दिनांक 23.5.2018 निरस्त किया जाकर, अपील सं. 43/2018 में रिमाण्डसुदा पत्रावली के निर्णय अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 15:57:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: